

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना - 21

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2018

**आय-कर**

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 245थ की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सातवाँ संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में,-

(अ) नियम 44ड. की उपधारा (1) में,-

(i) खंड (ग) में, "खंड (ख) के उपखंड (iiक)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "खंड (ख) के उपखंड (अ) के मद (III)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) खंड (घ) में, "खंड (ख) के उपखंड (iii)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "खंड (ख) के उपखंड (अ) के मद (IV)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ड.) में, "खंड (ख) के उपखंड (iiiक) " शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "खंड (ख) के उपखंड (अ) के मद (V)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(आ) परिशिष्ट II में,-

(i) प्ररूप 34ग के, -

(क) शीर्ष में “आवेदन का प्ररूप” शब्दों के स्थान पर “अनिवासी आवेदक के संबंध में आवेदन का प्ररूप” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) मद 13 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“14 कर दाता रजिस्ट्रीकरण संख्यांक/कर दाता पहचान संख्यांक/प्रकार्य समतुल्य/उस देश की सरकार द्वारा पहचान के लिए उपयुक्त कोई यूनिक संख्यांक/वह विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र, जिसका आवेदक निवासी होने का दावा करता है ।

15.	आवेदक की मूल कंपनी (कंपनियों) की विशिष्टियां:	
	(क) आवेदक की ठीक पूर्व की मूल कंपनी का नाम	
	(ख) आवेदक की ठीक पूर्व की मूल कंपनी का पता	
	(ग) आवेदक की ठीक पूर्व की मूल कंपनी के वास स्थान का देश	
	(घ) आवेदक की ठीक पूर्व की मूल कंपनी का स्थाई खाता संख्या (यदि आबंटित की गई हो)	
	(ङ.) कर दाता रजिस्ट्रीकरण संख्यांक/कर दाता पहचान संख्यांक/प्रकार्य समतुल्य/उस देश की सरकार द्वारा आवेदक की ठीक पूर्व की मूल कंपनी की पहचान के लिए उपयुक्त कोई यूनिक संख्यांक/वह विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है ।	
	(च) आवेदक की क्रमांतिम मूल कंपनी का नाम	
	(छ) आवेदक की क्रमांतिम मूल कंपनी का पता	
	(ज) आवेदक की क्रमांतिम मूल कंपनी के वास स्थान का देश	
	(झ) आवेदक की क्रमांतिम मूल कंपनी का स्थाई खाता संख्या (यदि आबंटित की गई हो)	
	(ञ) कर दाता रजिस्ट्रीकरण संख्यांक/कर दाता पहचान संख्यांक /प्रकार्य समतुल्य/उस देश की सरकार द्वारा आवेदक की क्रमांतिम मूल कंपनी की पहचान के लिए उपयुक्त कोई यूनिक संख्यांक /वह विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है”;	

(ii) प्ररूप 34घ में, मद 5 के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात्:-

"5.	उस अनिवासी की विशिष्ट (विशिष्टियां) जिससे संव्यवहार के वचनबंद किए जाने के लिए वचनबंद या प्रस्ताव किया जाता है	
	(क) अनिवासी का नाम	
	(ख) अनिवासी का पता	
	(ग) अनिवासी का टेलीफोन और फैक्स संख्यांक	
	(घ) अनिवासी का स्थाई खाता संख्या (यदि आबंटित की गई हो)	
	(ङ.) कर दाता रजिस्ट्रीकरण संख्यांक/कर दाता पहचान संख्यांक	

(ड.) कर दाता रजिस्ट्रीकरण संख्यांक/कर दाता पहचान संख्यांक/प्रकार्य समतुल्य/उस देश की सरकार द्वारा अनिवासी की पहचान के लिए उपयुक्त कोई यूनिक संख्यांक/वह विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है।	
(च) अनिवासी की ठीक पूर्व की मूल कंपनी का नाम	
(छ) अनिवासी की ठीक पूर्व की मूल कंपनी का पता	
(ज) अनिवासी की ठीक पूर्व की मूल कंपनी के वास स्थान का देश	
(झ) अनिवासी की ठीक पूर्व की मूल कंपनी का स्थाई खाता संख्या (यदि आबंटित की गई हो)	
(ञ) कर दाता रजिस्ट्रीकरण संख्यांक/कर दाता पहचान संख्यांक/प्रकार्य समतुल्य/उस देश की सरकार द्वारा अनिवासी की ठीक पूर्व की मूल कंपनी की पहचान के लिए उपयुक्त कोई यूनिक संख्यांक।	
(ट) अनिवासी की क्रमांतिम मूल कंपनी का नाम	
(ठ) अनिवासी की क्रमांतिम मूल कंपनी का पता	
(ड) अनिवासी की क्रमांतिम मूल कंपनी का वास स्थान का देश	
(ढ) अनिवासी की क्रमांतिम मूल कंपनी का स्थाई खाता संख्या (यदि आबंटित की गई हो)	
(ण) कर दाता रजिस्ट्रीकरण संख्यांक/करदाता पहचान संख्यांक/प्रकार्य समतुल्य/उस देश की सरकार द्वारा अनिवासी की क्रमांतिम मूल कंपनी की पहचान के लिए उपयुक्त कोई यूनिक संख्यांक/वह विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है";	

(iii) प्ररूप 34घक के शीर्ष में "धारा 245 ढ(ख) (iiक)" शब्द, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 245 ढ(ख) (अ) (III)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 31 /2018/फा.सं. 370142/34/2016-टीपीएल(भाग)]

*डा. टी.एस. मपवाल*

(डा. टी.एस. मपवाल)

अवर सचिव, (कर नीति और विधान)

टिप्पण:- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2087(अ), तारीख 24 मई, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
DEPARTMENT OF REVENUE  
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION 31

13<sup>th</sup>  
New Delhi, the 12<sup>th</sup> of July, 2018

INCOME-TAX

G.S.R.....(E).— In exercise of the powers conferred by section 295 read with sub-section (1) of section 245Q of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. **Short, title and commencement.**— (1) These rules may be called the Income-tax (7<sup>th</sup> Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962,—

(A) in rule 44E, in sub-rule (1),—

(i) in clause (c), for the words, brackets and letters “sub-clause (iia) of clause (b)”, the words, brackets and letters “item (III) of sub-clause (A) of clause (b)” shall be substituted;

(ii) in clause (d), for the words, brackets and letter “sub-clause (iii) of clause (b)”, the words, brackets and letters “item (IV) of sub-clause (A) of clause (b)” shall be substituted;

(iii) in clause (e), for the words, brackets and letters “sub-clause (iiia) of clause (b)”, the words, brackets and letters “item (V) of sub-clause (A) of clause (b)” shall be substituted;

(B) in the Appendix II, —

(i) in Form 34C,—

(a) in the heading, for the words “Form of application” the words “Form of application by a non-resident applicant” shall be substituted;

(b) after item 13, the following items shall be inserted, namely:—

“14. Taxpayer Registration Number/ Taxpayer Identification Number/ Functional equivalent/ Any unique number used for identification by the Government of that country/specified territory of which applicant claims to be a resident.

15.	Particulars of the Parent Company(-ies) of the applicant		
	(a) Name of Immediate parent company of applicant		
	(b) Address of Immediate parent company of applicant		
	(c) Country of residence of Immediate parent company of applicant		


	(d) Permanent Account Number of Immediate parent company of applicant (if allotted)	
	(e) Taxpayer Registration Number/ Taxpayer Identification Number/ Functional equivalent/ Any unique number used for identification of the Immediate parent company of applicant by the Government of that country/specified territory of which it claims to be a resident	
	(f) Name of Ultimate parent company of applicant	
	(g) Address of Ultimate parent company of applicant	
	(h) Country of residence of Ultimate parent company of applicant	
	(i) Permanent Account Number of Ultimate parent company of applicant (if allotted)	
	(j) Taxpayer Registration Number/ Taxpayer Identification Number/ Functional equivalent/ Any unique number used for identification of the Ultimate parent company of applicant by the Government of that country/specified territory of which it claims to be a resident”;	

(ii) in Form 34D, for item 5, the following item shall be substituted, namely:—

<b>“5.</b>	<b>Particular(s) of the non-resident with whom the transaction is undertaken or proposed to be undertaken</b>	
	(a) Name of the non-resident	
	(b) Address of the non-resident	
	(c) Telephone and Fax Number of the non-resident	
	(d) Permanent Account Number of the non-resident (if allotted)	
	(e) Taxpayer Registration Number/ Taxpayer Identification Number/ Functional equivalent/ Any unique number used for identification of the non-resident by the Government of that country/specified territory of which it claims to be a resident.	
	(f) Name of Immediate parent company of the non-resident	
	(g) Address of Immediate parent company of the non-resident	
	(h) Country of residence of Immediate parent company of the non-resident	
	(i) Permanent Account Number of Immediate parent company of the non-resident (if allotted)	
	(j) Taxpayer Registration Number/ Taxpayer Identification Number/ Functional equivalent/ Any unique number used for identification of the Immediate parent company of the non-resident by the Government of that country/specified territory of which it claims to be a resident	
	(k) Name of Ultimate parent company of the non-resident	
	(l) Address of Ultimate parent company of the non-resident	
	(m) Country of residence of Ultimate parent company of the non-resident	
	(n) Permanent Account Number of Ultimate parent company of the non-resident (if allotted)	
	(o) Taxpayer Registration Number/ Taxpayer Identification Number/ Functional equivalent/ Any unique number used for identification of the Ultimate parent company of the non-resident by the Government of that country/specified territory of which it claims to be a resident”;	

(iii) in Form 34DA, in the heading, for the word, figures, brackets and letters "section 245N(b)(iia)", the word, figures, brackets and letters "section 245N(b)(A)(III)" shall be substituted.

[Notification No. **3** /2018/F.No. 370142/34/2016-TPL(Part)]

  
(Dr. T.S. Mapval)

Under Secretary (Tax Policy and Legislation)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O.969(E), dated the 26<sup>th</sup> March, 1962 and last amended *vide* notification number S.O. No. 2087(E) dated the 24<sup>th</sup> May, 2018.